(1)

बी14 फारम सं. 562

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका।

Shankar Bauri
Vrs
Tapan Kumar Sen

आदेश फलक

देखे अभिलेख हस्तक 1949 का नियम129

आदेश पत्रक ता0.......................................से..तक

जिला. R.M.R.......सं0...04...............................सन् 2021-22

केस का प्रकार..

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश ओर पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ 3.
03.12.2021	यह रे0मि0 रिवीजन वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के एस0ई0 वाद सं0-264/1991-92 में पारित आदेश दिनांक-08.07.1992 के विरूद्ध दाखिल किया गया है। आवेदक की उपस्थिति नहीं है। सरकारी अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। यह रिवीजन वाद अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक- 08.07.1992 के विरूद्ध दायर किया गया है। जो लगभग आदेश पारित होने के 30 वर्ष के पश्चात् दायर किया गया है। इतने वर्षो के अंतराल में दायर इस रिवीजन वाद पर किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वाद की कार्रवाई अंगीकृत बिन्दु पर ही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। ह0 3/12/21 उपायुक्त, दुमका। ह0 3/12/21 उपायुक्त, दुमका।	

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.07 14:41:59 +05:30
Location: 169.254.227.244